रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07102020-222276
CG-MH-E-07102020-222276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2020/आश्विन 14, 1942
No. 410] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ASVINA 14, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 14 सितंबर, 2020

सं. टीएएमपी/53/2016-सीडब्ल्यूसी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर फ्रेट स्टेशन परिचालित कर रहे सैंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मौजूदा दरमानों का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं.टीएएमपी/53/2016-सीडब्ल्यूसी

सैंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन - - - आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितंबर, 2020 के 7वें दिन पारित)

यह मामला दीन दयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) में कंटेनर फ्रेट स्टेशन परिचालित कर रहे सैंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. सीडब्ल्यूसी के मौजूदा दरमान पिछली वार इस प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी, 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/53/2016-सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित किये गए थे, जो भारत के राजपत्र में 26 फरवरी, 2018 को अधिसूचित हुआ था। आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2020 तक निर्धारित थी।

3.1. सीडब्ल्यूसी ने बीओटी प्रचालक प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसरण में अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव 20 जनवरी, 2020 और 29 फरवरी, 2020 को दायर किया।

3.2. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार सीडब्ल्यूसी से प्राप्त प्रस्ताव को डीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों के साथ लिया गया। इस मामले में 26 जून, 2020 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन भी किया गया। बाद में, सीडब्ल्यूसी ने 18 अगस्त, 2020 के अपने पत्र के द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वास्तविकों के आधार पर संशोधित परिकलन भेजा। हमारे 01 जुलाई 2020 और 26 अगस्त 2020 के पत्रों उल्लिखित मुद्दों के संबंध में डीपीटी को अपनी टिप्पणियां और सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। डीपीटी का उत्तर प्रतीक्षारत है। अत: इस मामले में अंतिम रूप से सुविचार करने में अभी और समय लगने की संभावना है।

3.3. इसी बीच, सीडब्ल्यूसी ने 25 मार्च 2020 के ई-मेल और 30 अप्रैल, 2020 के एक और ई-मेल के द्वारा मौजूदा प्रशुल्कों को 31.03.2020 से आगे 31.07.2020 तक या प्रस्तावित प्रशुल्क के अनुमोदन होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने का अनुरोध किया है।

4. चूंकि सीडब्ल्यूसी के मौजूदा दरमानों की वैधता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है और इस बात को मान्य करते हुए कि सीडब्ल्यूसी के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव के निपटान में अभी और समय लगेगा, यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी के वर्तमान दरमानों की वैधता का विस्तार 15 अक्तूबर, 2020 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की तारीख तक, जो भी पहले हो, करता है।

5. यदि सीडब्ल्युसी के निष्पादन की समीक्षा के दौरान 01 अप्रैल, 2020 के बाद की अवधि के लिए ग्राह्य लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अधिशेष पाया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को सरकार द्वारा 05 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-IV) द्वारा जारी और इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित महापत्तन न्यासों में बीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुसार निपटाया जायेगा, जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे।

6. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार उनकी समाप्ति से 15 अक्तूबर, 2020 तक अथवा सीडब्ल्यूसी के संशोधित दरमानों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन- III/4/असा./271/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th September, 2020

No. TAMP/53/2016-CWC.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for the Central Warehousing Corporation operating the Container Freight Station at the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/53/2016-CWC

The Central Warehousing Corporation --- Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 7th day of September 2020)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Central Warehousing Corporation (CWC) operating the Container Freight Station at the Deendayal Port Trust (DPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of CWC was last approved by the Authority vide Order No.TAMP/53/2016-CWC dated 19 January 2018 which was notified in the Gazette of India on 26 February 2018. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2020.

3.1. The CWC has filed a proposal dated 02 January 2020 and 29 February 2020 for general revision of its SOR following new Tariff Guidelines for BOT operators, 2019.

3.2. The proposal received from the CWC has been taken on the prescribed consultation process with the DPT and the concerned users/ user associations and the Joint hearing in this case is held on 26 June 2020. Subsequently, the CWC, vide its letter dated 18 August 2020, has furnished revised computation based on actuals of 2016-17, 2017-18 and 2018-19. The DPT was requested to furnish its comments and information on the points mentioned in our letter dated 01 July 2020 and 26 August 2020. Response of DPT is awaited. Hence it will take some more time for this case to mature for final consideration.

3.3. In the meantime, the CWC, vide its email dated 25 March 2020, followed by another email dated 30 April 2020 has requested to continue with the existing Tariff beyond 31.03.2020 upto 31.07.2020 or till the approval of proposed tariff whichever is earlier.

4. Since the validity of the existing SOR of CWC expired on 31 March 2020 and recognizing that it will take some more time to dispose of the general revision proposal of the CWC, this Authority is inclined to extend the validity of the existing SOR of the CWC till 15 October 2020 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2020, during the review of the performance of CWC, such additional surplus will be dealt with as per clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines for BOT operators 2019 for determination of tariff for BOT operators operating in Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines issued by Government vide its letter No. PR-14019/20/2009-PG(PV.IV) dated 5 March 2019 and notified by the Authority in the Gazette of India.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing SOR of CWC from the date of its expiry till 15 October 2020 or till the date of effect of notification of the revised SOR of CWC.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./271/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM